



लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी (राजस्व)  
(जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़  
पीठासीन अधिकारी चेतन देवड़ा, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या / 83 / 2019 (सू.अ.)  
पंजीयन दिनांक:— 03.10.2019

श्री योगेन्द्र सिंह शेखावत पिता रिटायर्ड मेजर रूप सिंह C/O PG-32 RPS कॉलोनी रावतभाटा

बनाम

सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं उपखण्ड अधिकारी, रावतभाटा

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम-2005




निर्णय

दिनांक 22.10.2019

सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के तहत अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं उपखण्ड अधिकारी, रावतभाटा के यहां सूचना चाहने हेतु एक आवेदन दिनांक 29.07.2019 को प्रस्तुत किया। प्रस्तुत आवेदन पर 30 दिवस की अवधि में भी अपीलार्थी को उसके द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराने से यह अपील प्रस्तुत की गई।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर इस न्यायालय के पत्रांक प्र.सं. सूचना का अधिकार 83/2019/(22.10)/544 दिनांक 03.10.2019 से सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं उपखण्ड अधिकारी, रावतभाटा को दिनांक 22.10.2019 से पूर्व कमेंट्स प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करते हुए, अपीलार्थी को भी समसंख्यक पत्रांक (रजिस्टर्ड) से नियत दिनांक 22.10.2019 को अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित होने के लिये लिखा गया।

रजिस्टर्ड पत्र के माध्यम से सूचना देने पर भी अपीलार्थी नियत दिनांक को अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित नहीं हुआ।

  
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी  
(जिला कलक्टर)  
चित्तौड़गढ़ (राज.)



श्री योगेन्द्र सिंह शेखावत निवासी रावतभाटा बनाम सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं उपखण्ड अधिकारी, रावतभाटा


सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं उपखण्ड अधिकारी, रावतभाटा ने अपने पत्रांक/2019/623 दिनांक 21.10.2019 से कमेंट्स प्रेषित किये जो इस प्रकार हैं:-

यह कि सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, रावतभाटा द्वारा किसी भी वैधानिक धाराओं का उल्लंघन नहीं किया गया है एवं सूचना आयोग तथा प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) द्वारा समय-समय पर जारी विभागीय परिपत्रों व आदेशों में प्रदत्त दिशा-निर्देश की पूर्ण पालना की जाकर इस कार्यालय के पत्रांक/2019/295 दिनांक 09.08.2019 से किसी भी कार्यालय दिवस में कार्यालय में उपस्थित होकर निर्धारित शुल्क जमा करा वांछित सूचना प्राप्त करने हेतु अपीलार्थी को लिखा जा चुका है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर नियमानुसार कार्यवाही इस कार्यालय स्तर से पूर्ण किए जाने से प्रथम अपील इसी स्तर पर खारिज योग्य है।

हमने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील तथा सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं उपखण्ड अधिकारी, रावतभाटा द्वारा अपने पत्रांक/2019/623 दिनांक 21.10.2019 से प्रेषित कमेंट्स तथा उसके संलग्न अनुलग्नक का अवलोकन कर उस पर मनन किया। जिसके अनुसार सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं उपखण्ड अधिकारी, रावतभाटा द्वारा अपीलार्थी को अपने पत्रांक/2019/295 दिनांक 09.08.2019 से बिन्दु संख्या 3, 5 व 8 की तो पूर्ण सूचना उपलब्ध करा दी गई है किन्तु अन्य बिन्दुओं, बिन्दुओं संख्या 1, 2, 4, 6 व 7 के संबंध में किसी भी कार्यालय दिवस में उपस्थित होकर निर्धारित शुल्क जमा करा सूचना प्राप्त करने हेतु लिखा है किन्तु निर्धारित प्रतिलिपि शुल्क कितना बनता है उससे अपीलार्थी को अवगत नहीं कराया गया है।

सहायक लोक सूचना अधिकारी को उक्त बिन्दुओं में वांछित सूचना के कितने पृष्ठ बनते हैं उन पृष्ठों की संख्या तथा उनका कितना निर्धारित प्रतिलिपि शुल्क बनता है इससे अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि 30 दिवस के भीतर अवगत कराया जाना था जो कि नहीं कराया गया है।



  
लोक सूचना अधिकारी  
(जिला कलेक्टर)  
चित्तोड़गढ़ (राज.)





श्री योगेन्द्र सिंह शेखावत निवासी रावतभाटा बनाम सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं उपखण्ड अधिकारी, रावतभाटा

निष्कर्षतः अपील अपीलार्थी आंशिक स्वीकार की जाती है तथा सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं उपखण्ड अधिकारी, रावतभाटा को शेष बिन्दु संख्या 1, 2, 4, 6 व 7 की सूचना 15 दिवस में निः शुल्क उपलब्ध कराने के निर्देशों के साथ अपील निस्तारित की जाती है।



(चेतन देवड़ा)

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी  
जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

क्रमांक/सरिश्ता/प्र.सं./83/2019(सू.अ.)/634  
प्रतिलिपि:-

दिनांक:- 23 /10 /2019

1. सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं उपखण्ड अधिकारी, रावतभाटा
2. श्री योगेन्द्र सिंह शेखावत पिता रिटायर्ड मेजर रूप सिंह C/O PG-32 RPS कॉलोनी, रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी  
जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)  
चित्तौड़गढ़ (राज.)

